

# राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय : बीकानेर

दिनांक 16.10.2004 को प्रातः 10.30, मिटिंग हॉल प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	प्रो० परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री रामप्रताप कासनिया, (विधायक)	सदस्य
3.	डॉ० आर.पी.सिंह	" "
4.	डॉ० एल० एल० शर्मा	" "
5.	डॉ० विकम आदित्य आहूजा	" "
6.	श्री मनोहर लाल बिश्नोई	" "
7.	डॉ० डी. जी. धन्धर	" "
8.	श्री एम० डी० काबरा (विशेषाधिकारी, शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में)	" "
9.	डॉ० ए०के० गहलोत	" "
10.	डॉ० (श्रीमति) मधु गोयल	" "
11.	डॉ० (श्रीमति) अर्चना राज सिंह	" "
12.	डॉ० आर. एन. गोस्वामी	" "
13.	डॉ० प्राण मेहरोत्रा	" "
14.	श्री एम० डी० देथा	सदस्य सचिव

आमंत्रित

1. श्री एल. एन. गहलोत,  
(वित्त नियंत्रक)

प्रमुख शासन सचिव, कृषि उत्पादन, पशुपालन सचिव एवम् निदेशक, कृषि तथा डॉ० जी. डी. सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा, राकृषि, बीकानेर ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डा० जी.एन.माथुर, प्रोफेसर, डा० आर.ए.सिंह व डॉ० आर. के. सक्सेना द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की गयी तथा श्री रामप्रताप कासनिया, डॉ० आर.पी.सिंह, डॉ० एल० एल० शर्मा, डॉ० विकम आदित्य आहूजा, श्री मनोहर लाल बिश्नोई, डॉ० डी. जी. धन्धर एवम् डॉ० ए०के० गहलोत का नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया गया। साथ ही श्री के० एस० बीका, पूर्व वित्त नियंत्रक की सेवाओं की सराहना की गई तथा उनके स्थान पर श्री एल० एन० गहलोत के वित्त नियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर एवं बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर स्वागत किया गया।

*कृष्णपाल*

AU/BOM-58/2004-3/947 To confirm the proceedings of the meetings of the Board of Management held on 24.6.2004.

पुष्टि पर विचार किया गया। पारित (**Resolved**) किया गया कि कार्यवाही विवरण की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाए—

कृषि अनुसंधान केन्द्र श्रीगंगानगर व अन्य केन्द्रों पर पौधशाला स्थापित की जाए।

AU/BOM-58/2004-3/948 To report the action taken on various resolutions of the Board of Management held on 24.6.2004

पारित (**Resolved**) किया गया कि नोट कर लिया जाए।

AU/BOM-58/2004-3/949 To report orders passed by the Hon'ble Vice-Chancellor.

पारित (**Resolved**) किया गया कि कुलपति द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पुष्टि कर दी जाए।

AU/BOM-58/2004-3/950 To confirm the proceedings of the Academic Council held on 28.7.2004.

पारित (**Resolved**) किया गया कि कार्यवाही विवरण की पुष्टि कर दी जाए।

AU/BOM-58/2004-3/951 To Re-consider the qualification for the post of Training Organizer.

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् पारित (**Resolved**) किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुनः निर्धारित (**Training Organizer** की) योग्यताओं को लागू किया जावें तदनुसार पदों को पुनः विज्ञापित कर भर्ती की कार्यवाही की जाए। जिन अभ्यार्थियों ने पूर्व में भर्ती हेतु आवेदन किया हुआ है, उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

AU/BOM-58/2004-3/952 To Re-consider the Qualification for the post of Assistant Professor.

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् पारित (**Resolved**) किया गया कि वर्तमान में चल रही भर्ती

प्रक्रिया में योग्यता पूर्वानुसार रहेगी किन्तु भविष्य में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिये नेट आवश्यक योग्यता रहेगी ।

AU/BOM-58/2004-3/953

To consider the following proposal received by Sh M. L. Bishnoi, Member of BOM :-

1. गौमूल एवं नीम आधारित जैविक कीट नियंत्रक का प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र पर परीक्षण कर लागू किये जाने बाबत ।
2. औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कृषि फार्मों पर पौध लगाने का कार्यक्रम चालू किया जाए ।

उक्त प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गयी व श्री मनोहरलाल बिश्नाई द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर डॉ आर० एन० गोस्वामी,, सह निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर ने अवगत कराया कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर में पहले से ही कियान्वित हो रहा है साथ ही यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय की अन्य इकाईयों पर भी जहां-जहां सम्भव है यह सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जाए ।

AU/BOM-58/2004-3/954

To confirm the order No. COE/RAU/ Secy/UM/2004/205-15 and 248-269 dated 5.7.2004 and 22.7.2004 regarding cases of use of unfairmeans.

पारित (Resolved) किया गया कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों की पुष्टि कर दी जाए ।

AU/BOM-58/2004-3/956

To Consider the matter for transferring of land form ARS Durgapura to Jaipur Development Authority Jaipur for constructiion of southern Bye Pass.

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् पारित (Resolved) किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त भूमि हस्तान्तरित नहीं की जाए ।

AU/BOM-58/2004-3/957

To consider the case of Sh. B.L.Mandiwal student

*Dinesh*

B.Sc.(Ag.) SKN College of Agriculture, Jobner-Jaipur received from Sh. Ram Pratap Kasnia, MLA.

प्रकरण पर गहन विचार विमर्श पश्चात् पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण को शैक्षणिक परिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

**AU/BOM-58/2004-3/958** To consider Certificate course in Agribusiness Management.

पारित (Resolved) किया गया कि उक्त पाठ्यक्रम को अतिशीघ्र चालू किया जाये, साथ ही इकॉनोमी व नेशनल कॉम्प्यूडिटी एक्सचेन्ज के बारे में भी जानकारी दी जाए।

**AU/BOM-58/2004-3/959** To report the Various orders passed by the Hon'ble Vice-Chancellor.

पारित (Resolved) किया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों की पूष्टि कर दी जाए।

AU/BOM-58/2004-3/955 Any other items with the permission of the Chair.  
& 959

1. श्री रामप्रताप कासनिया, माननीय विधायक द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि पूर्व में गृहविज्ञान महाविद्यालय के अध्यापकों को जिस तरह विद्या वाचस्पति उपाधि थिसिस द्वारा करने की अनुमति दी गई थी उसी प्रकार पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के अध्यापकों को भी अनुमति दी जाए।

चर्चा के दौरान डॉ० ए०के० गहलोत, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय एवम् अध्यक्ष पशु चिकित्सा संकाय द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नईदिल्ली पी.एच.डी. थिसिस द्वारा कराने को मान्य नहीं करती है। इस पर आसन ने व्यवस्था दी कि कोर्स वर्क द्वारा पी.एच.डी. की इजाजत पर विचार किया जा सकता है। जिसके लिये सबेतन अध्ययन अवकाश

का विचार किया जा सकता है।

2. श्री रामप्रताप कासनियां व श्री एम० एल० बिश्नोई ने पिछले कई दिनों से पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय के बन्द पड़े रहने पर आकोश व्यक्त किया और उसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलाड़ बताया। साथ ही दोषी छात्रों को दण्डित किये जाने व कॉलेज को पुनः खोलने की मांग की।

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा चर्चा के दौरान अधिष्ठाता ने घटना की पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं साथ ही दोषी छात्रों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3. डॉ ए० के० गहलोत, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय बीकानेर ने महाविद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डाला तथा महाविद्यालय के विद्यार्थीयों का राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर विश्वविद्यालय का नाम विख्यात किया है तथा महाविद्यालय में पशु रोगों का पूर्वानुमान पद्धति विकसित करने से अवगत कराया। प्रगति की सराहना की गई।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

मृत्युजी

(एम० डी० देथा)

कुलसचिव एवं सदर्य सचिव

पर्मात्मा

(परमात्मा सिंह)

कुलपति एवम् अध्यक्ष